न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री नवरतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2021-00183Barmer2021-067 Haarun Vs State of Rajasthan

हारूण पुत्र चिना मुसलमान
निवासी कोनरा तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर (राज.)

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार चौहटन
   जिला बाड़मेर (राज)
2. हासम खां पुत्र एलियास मुसलमान
   निवासी कोनरा, तहसील चौहटन
   जिला बाड़मेर (राज)

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) चौहटन दिनांक 27 जुलाई 2015 राजस्व वाद संख्या 81/2013 हारूण बनाम सरकार

------- 0 -------

उपस्थित-
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया,
रेस्पो. संख्या एक की ओर से राजकीय अधिवक्त
रेस्पो. संख्या दो की ओर से अधिवक्त श्री बांकाराम चौधरी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

नि र्ण य

दिनांक : 06 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2013 हारूण बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 सितम्बर 2021 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाण्ट की ओर से शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी-अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 91 एवं 188 के तहत आराजी खसरा संख्या 631 नवीन खसरा संख्या 999/631 रकबा 74 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा कोनरा तहसील चौहटन के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन के खिलाफ पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 12 अप्रेल 2013 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादी-रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी-रेस्पां. संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार ऐला द्वारा अवैध रूप से पाकिस्तान चले जाने एवं वहीं पर उसकी मृत्यु होन जाने के कारण वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दिये जाने आदि विधिक कारणों से वादी को किसी प्रकार से वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने एवं वाद विधि द्वारा वाधित होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्र बाबत दोनों पक्षों की सुनवाई कर जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकर किया लिया गया एवं वादी-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

आलौच्य अपील विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थी हासम पुत्र एलियास की ओर से पक्षकान बनाये जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो स्वीकार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर पाली हासम पुत्र [illegible] को आलौच्य अपील में बतौर रेस्पो. संख्या दो पक्षकार कायम किया गया।

सर्वप्रथम उभयपक्षकारान की बहस मियाद के बिन्दु पर सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प बूट राठौडान में पारित किया गया, प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में अपीलाण्ट अथवा उसके अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी, इस कारण लोक अदालत कैम्प कोर्ट बूट राठौडान में अपीलाण्ट अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सकें। अपीलाण्ट एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन ने रेस्पो. संख्या दो व उसके पुत्रों से मिलावट कर पेश की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जिसके संबंध में समुचित समय में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13 सितम्बर 2021 को पटवारी हलका एवं रेस्पो. संख्या दो द्वारा बताये जाने पर हुई, तब अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की प्रमाणित नकलें प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश की गयी है, जो जानकारी की दिनांक से मियादशुमार की जावे।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पो. संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया कि अधीनस्थ न्यायायल में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र दिनांक 23 मई 2013 को पेश किया गया था, और उसी रोज की आदेशिका के अनुसार वादी-अपीलाण्ट के अधिवक्ता को

राजस्व अपील अधिकारी
बाडमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति भी दिया जाना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश करने हेतु करीब दो साल से अधिक का समय उपलब्ध होने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अब अपील स्तर पर अपीलाण्ट की ओर से यह कहा जाना उचित नहीं है कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

मियाद के संबंध में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह प्रकट होता है कि दिनांक 23 मई 2013 को अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश होने के बाद से अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जुलाई 2015 पारित किये जाने तक की अवधि में 15 मर्तबा निर्धारित तारीख पेशी अनुसार मिसल में कुल 15 आदेशिकाएं लिखी हुई है, जिनको देखने से विदित होता है कि 10 आदेशिकाएं (जिनमें 21 अगस्त 2014 से 24 जून 2015 तक की लगातार 6 आदेशिकों भी सम्मिलित है) रबर स्टाम्प से अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकार दीगर कारणों से व्यस्त होने के कारण तारीख तब्दील की गयी है। दिनांक 24 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार आगामी पेशी 27 जुलाई 2015 मुकर्रर की गयी, जिसमें प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने बाबत कुछ भी वर्णित नहीं है। इसके बावजूद दिनांक 27 जुलाई 2015 की आदेशिका अनुसार "पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बूट राठौडान में पेश हुई ..." अंकित किया गया है और गांव के मौतबिरान के समक्ष तहसीलदार चौहटन द्वारा जवाब पेश किया जाना वर्णित किया गया और अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करते हुए वादी-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में समुचित समय में वादी-अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को जरिये नियमित वाद चुनौती दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद-प्रकरण अपीलाण्ट एवं उसके अधिवक्ता को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही राजस्व लोक अदालत कैम्प यूट राठौडान में रखी जाकर उसी रोज अपीलाण्ट-वादी की अनुपस्थिति में ही प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जबाब एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाण्ट-वादी पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए दावा खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है तथा नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार एलियास द्वारा सपरिवार अवैध तौर पर पाकिस्तान चले जाने के कारण पटवारी की दैनिक डायरी में दिनांक 21 मार्च 1993 की रिपोर्ट के आधार में तहसीलदार चौहटन द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 1995 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 61 एवं 63(1)(8) के तहत वादग्रस्त आराजी सहित एलियास की खातेदारी की समस्त आराजियात को कब्जे राज कर दिया गया । ऐसी स्थिति में अब वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट-वादी को अधिकार उपलब्ध नहीं है और न ही मौके पर उसका कोई विधिसम्मतः साधिकार कब्जा-काश्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित पारित किये गये है। अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने कथन किया कि एलियास के पाकिस्तान चले जाने के बाद स्वयं अपीलाण्ट के पिता चिना पुत्र एलियास एवं एलियास के दो अन्य पुत्र अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर पाकिस्तान चले गये। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और न ही उसका मौके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः समय-समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मियाद के मामले में नरम रुख अपनाते हुए अपील मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के दादा एलियास की खातेदारी की रही है और एलियास अपने जीवनकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गये, वादग्रस्त आराजी एलियास ने अपनी जाति बिरादरी और गांव के लोगों की उपस्थिति में वर्ष 1992-93 में अपीलाण्ट के पक्ष में मौखिक तौर पर दान कर दी, दान प्राप्ति की स्वीकृत अपीलाण्ट की माता द्वारा दी गयी। तब से अपीलाण्ट उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। अपीलाण्ट का पिता चिना अवैध रुप से पाकिस्तान चला गया। एला का सपरिवार अवैध तौर से पाकिस्तान चले जाना दर्शाते हुए वादग्रस्त आराजी कब्जा राज किये जाने के तथ्य की अपीलाण्ट एवं उसकी माता अनपढ एवं ग्रामीण होने के कारण कोई जानकारी नहीं हो पायी। वाद प्रस्तुत किये जाने के करीब एक माह पूर्व नेखमबन्दी हेतु रिकार्ड की नकलें मांगने पर पटवारी हळका द्वारा बताये जाने पर जानकारी हुई और तदनुसार दावा पेश किया गया। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 61 व 63(1)(8) के तहत भूमि कब्जा राज किये जाने की कार्यवाही बिना कोई नोटिस जारी किए एवं साक्ष्य सुनवाई की गयी थी, विधि के सुस्थापित सिद्धान्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 61 व 63(1)(8) के तहत की गयी संक्षिप्त कार्यवाही

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर कब्जा है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेप्पो. संख्या दो की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय में रेप्पो. संख्या दो व अन्य वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी एवं अन्य खासरा नम्बरान के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 प्रस्तुत किया हुआ है, जो वाद संख्या 179/2018 खासरा व अन्य सनाम सरकार जरिये तहसीलदार विचाराधीन है। आलोच्य प्रकरण वादी-अपीलाण्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह प्रकट होता है कि दिनांक 23 मई 2013 को अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश होने के बाद से अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जुलाई 2015 पारित किये जाने तक की अवधि में 15 मर्तबा निर्धारित तारीख पेशी अनुसार मिसल में कुल 15 आदेशिकाएं लिखी हुई है, जिनको देखने से विदित होता है कि 10 आदेशिकाएं (जिनमें 21 अगस्त 2014 से 24 जून 2015 तक की लगातार 6 आदेशिकों भी सम्मिलित है) रबर स्टाम्प से अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकार दीगर कारणों से व्यस्त होने के कारण तारीख तब्दील की गयी है। दिनांक 24 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार आगामी पेशी 27 जुलाई 2015 मुकर्रर की गयी, जिसमें प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने बाबत कुछ भी वर्णित नहीं है। इसके बावजूद दिनांक 27 जुलाई 2015 की आदेशिका अनुसार "पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बूट राठौडान में पेश हुई ..." अंकित किया गया है और गांव के मोतबिरान के समक्ष तहसीलदार चौहटन द्वारा जबाब पेश किया जाना वर्णित किया गया और अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी पारित करते हुए वादी-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया। जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित अपलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया, नैसर्गिक न्याय के मूलभूत

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिद्धान्तों एवं विधि की सुस्थापित मान्यताओं के अनुरूप नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2013 हारूण बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जुलाई 2015 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि रेस्पो. संख्या दो की ओर से प्रस्तुत अन्य विचाराधीन वाद संख्या 179/2018 हाराम व अन्य बनाम सरकार जरिये तहसीलदार को आलोच्य अपील से संबंधित वाद संख्या 81/2013 हारूण बनाम सरकार के साथ समेकित (consolidated) किया जाकर सभी पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार पुनः न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/X/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर